HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 710/2026

Gyana @ Harlal S/o Bishna, Aged About 50 Years, R/o Rupnagar, Police Station Namana, District Bundi (Rajasthan). (At Present Confined In District Jail, Bundi)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek Jhingonia, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS
Judgment / Order

08/05/2026

वर्तमान एकल पीठ दांडिक निगरानी याचिका पूर्व में ही विचारार्थ ग्रहण की जा चुकी है, अतः प्रकरण सम्यक अनुक्रम में सूचीबद्ध किया जावे।

In Criminal Misc. (SOS) Appl. No. 182/2026

प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त को विचारण न्यायालय **अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–2, बूंदी** ने नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या **2082/2018** में पारित निर्णय **17.01.2025** के तहत धारा **4/25 आर्म्स एक्ट** के अपराध में अधिकतम **दो** वर्ष के साधारण कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया था, जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर विद्वान अपीलीय सेशन न्यायालय, बूंदी द्वारा फौजदारी अपील संख्या **165/2025** में पारित निर्णय **27.02.2026** के माध्यम से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धी को कायम रखा, किन्तु दण्डादेश उपान्तरित करते हुए अभियुक्त को अधिकतम एक वर्ष की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–याची का निवेदन है कि अभियुक्त वर्तमान समय में अभिरक्षा में होकर करीब चार माह की सजा भुगत चुका है, निगरानी याचिका में सफल होने की पूर्ण उम्मीद है, किन्तु उसके विचारण में समय लगेगा। अतः सजा स्थगन आवेदन को स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई।

जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन आवेदन का विरोध किया।

समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–याची द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्र के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः यह सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रार्थी–अभियुक्त **ज्ञाना उर्फ हरलाल पुत्र बिशना** की ओर से **विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट अपराध में अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की राशि विचारण न्यायालय में जमा कराये जाने की पूर्ववर्ती शर्त पर** स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्त इस न्यायालय में दिनांक **09.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उसे आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु, **एक लाख रूपए** का बन्ध–पत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपए** की दो प्रतिभूतियां विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत करे तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं विद्वान विचारण न्यायालय तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय क्रमशः दिनांकित **17.01.2025 तथा 27.02.2026** के तहत कारावास की सीमा तक दिए गए **''दण्डादेश''** का क्रियान्वयन इस पुनरीक्षण याचिका के निर्णीत होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /57